कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़।

पत्रांक 3547 / 15–2 दिनांक, प्रतापगढ़, अप्रैल 10, 2018।

सेवा में,

सहायक जनरल मैनेजर,
रीटेल रीजनल कानपुर रीटेल रीजनल आफिस,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
भू–तल 88– I,गोवर्धन पुरवा,
हमीरपुर रोड कानपुर–208014

विषयः– जनपद प्रतापगढ़ में लालगंज –कालाकांकर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग संख्या–102) के कि0मी0 19–20 के मध्य गाटा सं0–1406 ग्राम–नरई तहसील– कुण्डा के बांयी पटरी पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के आगम–निर्गम मार्ग निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 0.082772 हे0 वृक्ष रहित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक पी–64/14–2–2018 –800 (57)/2018 दिनांक 09.04.2018।

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित एवं आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में लालगंज –कालाकांकर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग संख्या–102) के कि0मी0 19–20 के मध्य गाटा सं0–1406 ग्राम–नरई तहसील– कुण्डा के बांयी पटरी पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प के आगम–निर्गम मार्ग निर्माण हेतु कुल क्षेत्रफल 0.082772 हे0 वृक्ष रहित संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी की अनुमति **उ0प्र0 सरकार** के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तो एवं प्राविधानों के तहत प्रदान की गयी है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 में उल्लिखित है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) (0.082772हे0X626000) रू0 51815.272 अर्थात् रू0 **51815.00** की धनराशि आन लाइन पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या– 27 में लिखित है कि प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। उक्त के कम में क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि **82,232.00** आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें, उक्त दोनो निधियों की जमा धनराशि की रसीद संलग्नकर अनुपालन आख्या के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त संलग्न सैद्धान्तिक स्वीकृति जो आपको पृष्ठांकित है। इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृति पत्र में अंकित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को तत्काल भेजा जा सकें।

संलग्नकः–उ0प्र0 सरकार का संदर्भित पत्र।

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़

संख्या /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(वाई0पी0 शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़